(5) R.M.M. Law College - Saharsa.

Manvendra Mandal Subject - Contract-II Date - 30-4-20
part time lecturer specific Contract

प्रत्याभूति की संविदा और क्षतिपूर्ति की संविदा में भेद
(Deffrent between Contract of guarantee and Contract of Indemnity)

Contract of guarantee से तात्पर्य ऐसी संविदा से है जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अपने आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से हुई हानि से उस दूसरे पक्षकार को बचाने की प्रतिज्ञा करता है, जबकि Contract of Indemnity से तात्पर्य किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की दशा में उसकी प्रतिज्ञा का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा से है।

क्षतिपूर्ति की संविदा और प्रत्याभूति की संविदा में निम्नलिखित अन्तर है— (1) Contract of guarantee में तीन पक्षकार होते हैं (a) principal debtor मूल ऋणी (कर्जदार) (b) creditor लेनदार (c) surety (प्रतिभू)। परन्तु contract of Indemnity में केवल दो पक्षकार होते हैं (a) क्षतिपूर्तिधारी (Indemnity holder) (b) और क्षतिपूर्तिदाता (Indemnifier) - इस संविदा में Indemnifier यह प्रतिज्ञा करता है कि वह Indemnity holder को अपने आचरण या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से होनेवाली हानि से बचायेगा, जबकि contract of guarantee में surety यह प्रतिज्ञा करता है कि principal debtor द्वारा अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया जाता है या अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया जाता है तो वह principal debtor की प्रतिज्ञा को पूरा करेगा या उसके दायित्व का निर्वहन करेगा।

Scanned with CamScanner

① Contract of Indemnity में केवल एक संविदा Indemnifier और Indemnity holder के बीच होता है, परन्तु Contract of guarantee की दशा में तीन संविदायें होती है। पहला संविदा principal debtor और creditor के मध्य होती है, जिसके अन्तर्गत principal debtor किसी प्रतिज्ञा या दायित्व को पूरा करने की प्रतिज्ञा करता है।

दूसरी संविदा surety और creditor के मध्य होती है, जिसके अन्तर्गत surety यह प्रतिज्ञा करता है कि यदि principal debtor अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने में या दायित्व का निर्वहन में चूक करता है तो वह उसकी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा या अपने दायित्व का निर्वहन करेगा।

तीसरी संविदा (Implied निवक्षित) होती है जो surety और principal debtor के मध्य होती है जिसके द्वारा मूलऋणी: प्रतिभू का क्षतिपूर्ति करने की निवक्षित प्रतिज्ञा करता है और परिणाम स्वरूप surety उन राशियों को जो उसने guarantee के अन्तर्गत rightfully दिया है principal debtor से वसूल कर सकता है।

③ क्षतिपूर्ति की संविदा में क्षतिपूर्तिदाता (Indemnifier) का दायित्व primary होता है प्रत्याभूति (Guarantee) की संविदा में surety का दायित्व प्राथमिक नहीं, बल्कि गौण होता है।

④ Contract of guarantee में surety अपने दायित्व को पूरा करने के बाद creditor का स्थान ग्रहण कर लेता है और जो रकम उसने प्रत्याभूति के अधीन Rightfully दिया है, उसे principal debtor से वसूल कर सकता है। परन्तु क्षतिपूर्ति की संविदा में क्षतिपूर्ति दाता दी गई क्षतिपूर्ति की रकम किसी से वसूल नहीं कर सकता है और उसे वह भार स्वयं उठाना पड़ता है।

Scanned with CamScanner

⑤ Contract of Indemnity का प्रयोजन Indemnity holder को मनुष्य के आचरण से होने वाली क्षति की पूर्ति करना है, जबकि प्रत्याभूति की संविदा का प्रयोजन लेनदार को सुरक्षा प्रदान करना है।

Scanned with CamScanner